न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :—सत्यनारायण आर.ए.एस.

गि0न0 110/2026

1. बृजलाल पुत्र शीशराम
2. अमीलाल पुत्र शीशराम
3. इन्द्रपाल
4. मुकेश कुमार

पि0 कृष्ण लाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासीयान साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासीयान साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

बनाम्

वादीगण

1. शीशराम पुत्र सदुराम
2. सोहनलाल पुत्र शीशराम

जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासीयान साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

3. सावित्री देवी पुत्री शीशराम पत्नी रामजीलाल जाति कुम्हार निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
4. कृष्ण कुमार पुत्र सदूराम
5. अन्जू
6. सरोज
7. सुनेस्ता

पुत्रीयॉ कृष्ण कुमार

जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासीयान साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 धारा 88,

उपस्थिति :—श्री सुभाष गर्ग अधिवक्ता **वादी**
श्री करनैलसिंह अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक: 28/4/26

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 के पिता, प्रतिवादी सं0 1 शीशराम के नाम से चक नं0 4 केएचआर के खाता सं0 165 / 132 में कुल 0.506 है० आराजी नहरी, चक नं० 1 केएचआर के खाता सं0 166/16 में कुल 0.367 है० आराजी, चकनं० 1 एसबीएन के खाता सं0 162/22 में कुल 0.632 है0 नहरी, अ०क० आराजी तथा चक नं0 6 केएचआर के खाता सं0 174/58 में कुल 0.506 है0 आराजी, वादी सं0 3 व 4 के पिता के नाम से चक नं० 1 केएचआर खाता सं0 16/9 में .961 है० व चक नं० 1 एसबीएन के खाता सं0 21/22 में कुल 0.271 है० आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दीयॉ संलग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है । वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में काफी अर्सा पूर्व घरू बटवारां हो गया था व बटवारां में प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 ने अपने अपने हक व हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग वादीगण के पक्ष में कर दिया था तथा प्रतिवादीगण सं0 4 ता 6 ने भी अपने हक व हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग किया हुआ है । वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही सहदायिक परिवार के सदस्य है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपस में घरू बटवारां किया हुआ है जो निम्न प्रकार से है:—

क.वादीसं० 1 बृजलाल को प्राप्त आराजी — चकनं0 4 केएचआर के खाता सं0 165/132 में शीशराम के नाम से दर्ज 0.506 है० आराजी तथा चकनं० 1 केएचआर के खाता सं0 166/16 में अंकित 0.367 है० तथा चक नं० 1 एस.बी.एन. के प0न0 222/201 मु0 59 किला नं० 13 /2/.126 है०, चकनं० 1 केएचआर के प०न० 236/198 मु0 49 किलान0 22/3/.012 है०

ख.वादीसं0 2 अमीलाल को प्राप्त आराजी:— चक नं० 1 एस.बी.एन. के प०न० 222/201 मु0 59 किला नं0 14, 17/506 है0, चक नं0 6 केएचआर के खाता सं0 174/58 में अंकित आ शीशराम के नाम की 0.506 है०

सहायक कलक्टर
टिब्बी

ग.वादीसं0 3 इन्द्रपाल व वादी सं0 4 मुकेश कुमार को व०हि०व० प्राप्त आराजी रू– चक नं० 1 एस.बी.एन के खाता सं0 21/22 में अंकित कुल 0.271 है०, चकनं0 1 केएचआर के खाता सं0 16/9 में प०न0 236/198 मु0 49 किलानं0 8/1/.190, 13, 14,21

घ. प्रतिवादीसं0 4 कृष्ण कुमार को प्राप्त आराजी रू– चकनं0 4 केएचआर के प०न० 229/206 मु0 31 किलानं0 4 में .012 है० पश्चिमी दिशा

वाद पत्र की दफा 4 में दर्ज बटवारा के अनुसार वादीगण अपनी अपनी आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है व अपनी आराजी की रकम राज जमा करवाते चले आ रहे है लेकिन वाद पत्र की दफा 4 मे दर्ज बटवारां के अनुसार आराजी वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है व वादीगण अपनी आराजी पर बैंक से ऋण लेने, पानी की बारी अपने नाम करवाने तथा अन्य वितीय संस्थाओं से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहते है। इसलिए वादीगण घोषणा इस आशय की प्राप्त करने के अधिकारी है कि वाद पत्र की दफा 4 में दर्ज बटवारां के अनुसार वादीगण अपनी आराजी के खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन कर चक नं0 4 केएचआर के खाता सं0 165/132, चक नं० 1 केएचआर के खाता सं0 166/16, चकनं0 1 एसबीएन के खाता सं0 162/22 तथा चक नं0 6 केएचआर के खाता सं0 174/58 में से शीशराम का नाम कलमजन, चक नं० 1 केएचआर के खाता सं0 16/9 में से कृष्णराम का नाम कलमजन व चक नं० 1 एस. बी. एन के खाता सं0 21 / 22 मे से कृष्ण कुमार का नाम कलमजन करवाने के अधिकारी व दावेदार है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा निवेदन किया कि वाद पत्र की दफा 4 में दर्ज बटवारां के अनुसार आराजी वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा देवे तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे व आज से तीन रोज पूर्व ग्राम साबुआना में कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है। वादीगण का वाद पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है जो अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है । लिहाजा वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः–

क.कि घोषित किया जावे कि वाद पत्र की दफा 4 मे दर्ज बटवारां के अनुसार वादीगण अपनी आराजी के खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन कर चक नं0 4 केएचआर के खाता सं0 165/132, चक नं0 1 केएचआर के खाता सं0 166/16, चकनं0 1 एसबीएन के खाता सं0 162/22 तथा चक नं0 6 केएचआर के खाता सं0 174/58 में से शीशराम का नाम कलमजन, चक नं० 1 केएचआर के खाता सं0 16/9 में से कृष्णराम का नाम कलमजन व चक नं० 1 एस. बी. एन के खाता सं0 21/22 मे से कृष्ण कुमार का नाम कलमजन किया जावे।

ख. कि खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

ग. कि अन्य कोई अनुतोष बहक वादी हो तो दिलाया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण को ओर से वाद की सभी मद संख्याओ को स्वीकार करते हुए सहमति का जवाबदावा पेश किया कि वाद मुताबिक वादी अनुतोष स्वीकार किया जाता है तो मुझ प्रतिवादीगण को ऐतराज नही है।

वाद में सहमति का जवाबदावा पेश होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही वादी द्वारा वाद के समर्थन में मुख्य परीक्षा शपथ पत्र पेश किया वाद के समर्थन में वादी द्वारा जमाबंदी चक 4 केएचआर खाता स0 165/132 प्रदर्श 1, चक 1 केएचआर खाता स0 166/16 प्रदर्श 2, चक 1 एसबीएन खाता स0 162/22 प्रदर्श 3, चक 6 केएचआर खाता स0 174/58 प्रदर्श 4, चक 1 केएचआर खाता स0 16/9 प्रदर्श 5, चक 1 एसबीएन खाता स0 21/22 प्रदर्श 6, आधार कार्ड वादीगण प्रदर्श 7 ता 10, शपथ पत्र वारिस तस्दीक प्रदर्श 11, दस्तावेज प्रदर्श करवाए।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी, दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है । वाद पत्र की दफा 2 मे

दर्ज आराजी का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में काफी अर्सा पूर्व घरू बटवारां हो गया था व बटवारां में प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 ने अपने अपने हक व हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग वादीगण के पक्ष में कर दिया था तथा प्रतिवादीगण सं0 4 ता 6 ने भी अपने हक व हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग किया हुआ है । वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही सहदायिक परिवार के सदस्य है। वाद मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जावे।, वकील प्रतिवादी ने बहस का कोई विरोध न करते हुए वाद मुताबिक अनुतोष स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया, वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये सजरा खानदान के अलावा अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया, पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो एव प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि क. वादीसं० 1 बृजलाल को प्राप्त आराजी – चकनं0 4 केएचआर के खाता सं0 165/132 में शीशराम के नाम से दर्ज 0.506 है० आराजी तथा चकनं० 1 केएचआर के खाता सं0 166/16 में अंकित 0.367 है० तथा चक नं० 1 एस.बी.एन. के प0न0 222/201 मु0 59 किला नं० 13 /2/.126 है०, चकनं० 1 केएचआर के प०न० 236/198 मु0 49 किलानं0 22/3/.012 है०

ख.वादीसं0 2 अमीलाल को प्राप्त आराजीः– चक नं० 1 एस.बी.एन. के प०न० 222/201 मु0 59 किला नं0 14, 17/.506 है0, चक नं0 6 केएचआर के खाता सं0 174/58 में अंकित शीशराम के नाम की 0.506 है०

ग.वादीसं0 3 इन्द्रपाल व वादी सं0 4 मुकेश कुमार को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी रू– चक नं० 1 एस.बी.एन के खाता सं0 21/22 में अंकित कुल 0.271 है०, चकनं0 1 केएचआर के खाता सं0 16/9 में प0न0 236/198 मु0 49 किलानं0 8/1/.190, 13, 14,21

घ. प्रतिवादीसं0 4 कृष्ण कुमार को प्राप्त आराजी– चकनं0 4 केएचआर के प०न० 229/206 मु0 31 किलानं0 4 में .012 है० पश्चिमी दिशा इसी अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व चक नं0 4 केएचआर के खाता सं0 165/132, चक नं0 1 केएचआर के खाता सं0 166/16, चकनं0 1 एसबीएन के खाता सं0 162/22 तथा चक नं0 6 केएचआर के खाता सं0 174/58 में से शीशराम का नाम कलमजन, चक नं० 1 केएचआर के खाता सं0 16/9 में से कृष्णराम का नाम कलमजन व चक नं० 1 एस. बी. एन के खाता सं0 21/22 मे से कृष्ण कुमार का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28/4/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :—सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 110/2026

1. बृजलाल पुत्र शीशराम
2. अमीलाल पुत्र शीशराम
3. इन्द्रपाल
4. मुकेश कुमार

जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासीयान सावुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

पि0 कृष्ण लाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासीयान सावुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम्

1. शीशराम पुत्र सदुराम
2. सोहनलाल पुत्र शीशराम

जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासीयान साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

3. सावित्री देवी पुत्री शीशराम पत्नी रामजीलाल जाति कुम्हार निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
4. कृष्ण कुमार पुत्र सदूराम
5. अन्जू
6. सरोज
7. सुनेस्ता

पुत्रीयॉ कृष्ण कुमार

जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासीयान साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाष गर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती हैः— क. वादीसं० 1 बृजलाल को प्राप्त आराजी — चकनं0 4 केएचआर के खाता सं0 165/132 में शीशराम के नाम से दर्ज 0.506 है० आराजी तथा चकनं० 1 केएचआर के खाता सं0 166/16 में अंकित 0.367 है० तथा चक नं० 1 एस.बी.एन. के प0न0 222/201 मु0 59 किला नं० 13 /2/.126 है०, चकनं० 1 केएचआर के प०न० 236/198 मु0 49 किलानं0 22/3/.012 है०

ख.वादीसं0 2 अमीलाल को प्राप्त आराजीः— चक नं० 1 एस.बी.एन. के प०न० 222/201 मु0 59 किला नं0 14, 17/.506 है0, चक नं0 6 केएचआर के खाता सं0 174/58 में अंकित शीशराम के नाम की 0.506 है०

ग.वादीसं0 3 इन्द्रपाल व वादी सं0 4 मुकेश कुमार को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी रू— चक नं० 1 एस.बी.एन के खाता सं0 21/22 में अंकित कुल 0.271 है०, चकनं0 1 केएचआर के खाता सं0 16/9 में प0न0 236/198 मु0 49 किलानं0 8/1/.190, 13, 14,21

घ. प्रतिवादीसं0 4 कृष्ण कुमार को प्राप्त आराजी— चकनं0 4 केएचआर के प०न० 229/206 मु0 31 किलानं0 4 में .012 है० पश्चिमी दिशा इसी अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व चक नं0 4 केएचआर के खाता सं0 165/132, चक नं0 1 केएचआर के खाता सं0 166/16, चकनं0 1 एसबीएन के खाता सं0 162/22 तथा चक नं0 6 केएचआर के खाता सं0 174/58 में से शीशराम का नाम कलमजन, चक नं० 1 केएचआर के खाता सं0 16/9 में से रामजीराम का नाम कलमजन व चक नं० 1 एस. बी. एन के खाता सं0 21/22 मे से कृष्ण कुमार का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी

सहायक कलेक्टर
टिब्बी

को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/4/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सूर्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी